न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2016 पुनरीक्षण

निग -3162-I-16

1. शिवकुमारी 2. उर्मिला पुत्री परमानंद
3 विमला पत्नी परमानंद गौतम
4 भारती पत्नी रामदयाल मिश्रा
5. श्रीमती सुमन पत्नी रविन्द्र सोनी
6. शिवानी पत्नी अमर गौतम
7. श्रीमती विमला दुबे पत्नी के.के. दुबे

समस्त निवासीगण खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा प्रकरण कमांक 24/अ–89अ(13)/10–11 में पारित आदेश दिनांक 17.8.11 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आवेदकगण आ.नं. 2347/1/2, 2348, 2349/1/2, 2350/2, 2351/1 कुल किता 05 कुल रकवा 0.839 हे. भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3162–एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3 –10–2016	1– आवेदकगण के अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित अनावेदक शासन के अधिवक्ता अनिल श्रीवास्तव उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 24/अ–89अ(13)/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदकगण की भूमि कस्बा राजनगर तहसील राजनगर, जिला छतरपुर में स्थित भूमि ख.नं. 2347/1/2, 2348, 2349/1/2, 2350/2, 2351/1 कुल किता–5 कुल रकवा 0.839 है0 भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी है व मौके पर काबिज है। आवेदकगण की ओर से यह भी तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी आवेदकगण है। भूमिस्वामी को अपनी भूमि विक्रय करने के कानूनन पूरा अधिकार है जो ट्रांसफर ऑफ प्रापर्टी एक्ट के तहत आवेदकगण को प्राप्त है।	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदकगण ने शासन की पूर्ण स्टांप डयूटी अदा कर अपने सगे संबंधियों को कुछ भूखण्ड निवास की दृष्टि से दिये है। आवेदक को भूखण्डों को विक्रय करने में किसी अनुमति या लाईसेंस की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदकगण द्वारा कॉलोनी नहीं बनायी जा रही है न कोई निर्माण कार्य किया गया था यह तो क्रेताओं पर है कि वह उसमें क्या काम करते है कैसा निर्माण कार्य कराते हैं ऐसे में आवेदकगण को निर्माण कार्य की अनुमति लेने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं है जिस पर से यह माना जाये कि आवेदकगण या अन्य किसी द्वारा निर्माण कार्य किया है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदगण द्वारा न तो कॉलोनी विकसित किया जाना ही साबित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के मत में बाद भूमि विक्रय किया जाना माना भी जाये तब बाद भूमि का आवेदकगण भूमिस्वामी है उन्हें अपनी भूमि विक्रय करने का संवैधानिक अधिकार है जिस पर किसी तरह की रोक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्रेताओं को न तो पक्षकार बनाया न ही उनकी सुनवाई की गई उन्हें सुने बिना पीठ पीछे राजस्व अभिलेख में विक्रय शुदा भूखण्डों को शामिल कर शासकीय दर्ज करने का आदेश देने में त्रुटि की है। इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर द्वारा आवेदकगण	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3162–एक/2016 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के स्वामित्व की भूमि के संबंध में पारित आदेश दिनांक 17.08.2011 निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है। 4– अनावेदक शासन के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया। 5– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । आवेदकगण वादग्रस्त ख.नं. 2347/1/2, 2348, 2349/1/2, 2350/2, 2351/1 किता –5 रकवा 0.839 है0 भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी है आवेदकगण ने वाद भूमियों में से अंश रकवा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अन्य व्यक्तियों को विकय कर दी है आवेदक को वाद भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को समुचित साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं केताओं को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतः विपरीत है। इस कारण अनुविभागीय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपने आदेश में आवेदकगण के संबंध में निकाले गये निश्कर्षो पर आधारित कर पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यंह निगरानी स्वीकार की जातीहै तथा सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.08.2011 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार राजनगर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तदनुसार ख.नं. 2347/1/2, 2348, 2349/1/2, 2350/2, 2351/1 कुल किता –5 कुल रकवा 0.839 है0 भूमि पर राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रबंधक सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनगर के स्थान पर पूर्ववत आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करें। सदस्य	